

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

1. गुरबक्शसिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिंह 2. गुरदेवसिंह पुत्र श्री खेतासिंह जाति जटसिख  
निवासीगण हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. गौरव पुत्र प्रेमसुख 2. शांति देवी पत्नी बृजलाल 3. देवीलाल पुत्र भादर राम जाति  
जाट (जाखड़) 4. चन्दसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति जटसिख निवासीगण हरिपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 5. अंजना उर्फ विनीता पुत्री दलीपसिंह 6.  
मनवीरसिंह पुत्र कुलवीर उर्फ संदीप 7. विनोद कुमार पुत्र अंतराम 8. दुलारी पत्नी प्रेमसुख  
9. युद्धवीर पुत्र प्रेमसुख 10. वैभव पुत्र प्रेमसुख जाति जाट (जाखड़) निवासीगण भागु  
तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) 11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद सं. 540/2024

निर्णय दिनांक 14.5.2025

राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
के प्रमुख वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीरसिंह वर्मा वकील  
वादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया के  
पत्र क्रमांक - प्रा.डिक्री/भू.अ./025/111 दिनांक 17.04.2025 की रिपोर्ट के मुताबिक  
निम्नानुसार डिक्री दी जाती है -

चक 3 एच.आर.पी. जमाबंदी संवत् 2072-75 खाता सं. 94/70 कुल खाता 3.036 है.

(क) गुरदेवसिंह पुत्र खेतासिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार राहिन पंजाब  
नेशनल बैंक शाखा दीनगढ़

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
195/114	51	17 ता 19,22,23/.253 है.प्र.

कुल योग 1.265 है. नहरी कृषि भूमि

(ख) गुरबक्शसिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख सा. हरिपुरा खातेदार राहिन पंजाब  
नेशनल बैंक शाखा हरिपुरा

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
195/115	67	2ता4, 8ता10,12/.253 है.प्र.

कुल योग 1.771 है. नहरी कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार (भू.अ.)  
संगरिया के पत्र क्रमांक - प्रा.डिक्री/भू.अ./025/111 दिनांक 17.04.2025 द्वारा प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना  
वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे  
के अन्य पक्षकारों का अमल-दरामद कर दिया जावे।

निज ..... मुल्लिक..... बाबत ..... खर्चा मुकदमें के मय शूद वा  
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मैरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक  
14.5.2025 को जारी की गयी।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

